न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
12 / 25	21.01.2025	23.06.2025

बउनवान

1. रामअवतार पुत्र धनसी जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र जाति ओड निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
2. कलावती पुत्र बीरबल जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
3. कैलाश पुत्र गणपतराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
4. चांदराम पुत्र गणपतराम निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
5. छोटे देवी पत्नि दीनाराम पिता दीनाराम निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
6. जितेन्द्र पुत्र महावीर जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
7. नरेश पुत्र गणपतराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
8. प्रताप पुत्र गणपतराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
9. परमानन्द पुत्र रूपचन्द जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
10. बूगलावती पुत्री गणपत जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
11. बाला देवी पत्नि स्व0 महेन्द्र निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
12. मुन्शीराम पुत्र दीनाराम निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
13. रमेश पुत्र गणपतराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
14. राजेन्द्र पुत्र दीनाराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
15. लखपत पुत्री रूपचन्द जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
16. लालचन्द पुत्र दीनाराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
17. लालाराम पुत्र दीनाराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
18. श्यामसुन्दर पुत्र सवाईसिंह जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
19. श्रीराम पुत्र घीसा जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
20. शारदा पुत्री सवाईसिंह जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
21. संतोष पुत्र गणपतराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
22. सुनीता देवी पुत्री दीनाराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
23. सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
24. सम्पती देवी पत्नी रूपचन्द जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
25. सुरेश पुत्र ग्यारसाराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

26. सराजे पुत्री दीनाराम जाति अहीर निवासी मैंढा तह0 मुण्डावर
27. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील –: हंसराज यादव

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0न0 1180/163 रकबा 0.1062 ग्राम मंढा तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में स्थित है जो आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उसके साथ में लगती हई आराजी ख०न० 1181/163 रकबा 0.1438 हैक्0 जिस आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है मुलाहिजा जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि प्रार्थी की आराजी ख0न0 1180/163 को अप्रार्थीगण अपनी आराजी की डोल को मिसमार कर आये दिन प्रार्थी की आराजी को दबाना शुरू कर दिया है अप्रार्थीगण मुठ मर्द व लडाकू प्रवृति के आदमी है जो आये दिन ख0न0 1180/163 की डोल पर विवाद रखते है तथा प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिस पर मिन प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर को प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 4/10/2023 को श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर कमांक/भू.अ./23/4923/दिनांक 22/9/2023 की पालना में ग्राम मंढा के आराजी खसरा न0 1180/163 रकबा 0.1062 हैक्0 के मौके पर बहमरात पटवारी हल्का खानपुर अहीर, पटवारी हल्का शीलगांव पटवारी हल्का भानोत व पटवारी हल्का अजरका पहुँचे। मौके पर प्रार्थी रामोवतार पुत्र धनसिंह यादव व उपस्थित जन के समक्ष आराजी खसरा न० 159, 169, 170 व 157 के मध्य स्थित चौमेडा से तरफ पश्चिम 4 जरीब 5 गठ्ठे चलकर आराजी खसरा न० 1180/163 की पूर्वी मेड का निर्धारण कर निशान बतलाया गया। तथा आराजी खसरा न0 1180/163 की पूर्वी मेड से पश्चिम की तरफ चल कर पश्चिम मेड का निर्धारण किया तथा आराजी खसरा न0 165 व 1181/163 के मध्य स्थित मेड जो मौके पर सही है से तरफ उत्तर दिशा में जरीब चलाकर (दो जरीब पांच गठ्ठा) आराजी खसरा न0 1180/163 की दक्षिण मेड का निर्धारण किया। मौके पर प्रार्थी का सीमज्ञान करवाकर निशानात बताऐ गए। मौका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को सुनवाया व हस्ताक्षर करवाए।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

3. यह है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण स० 1 ल0 226 को बार बार पत्थरगढी कराने के लिये कहता रहा और अप्रार्थी स० 1 ल0 26 हर बार टाल बाल करते रहे एवं पैमाईस दिनांक 4/10/2023 द्वारा कामय निशानात भी मिट जायेगे। जिस पर मिन प्रार्थी ने अब दिनांक 16/01/2025 को अप्रार्थीगण को पैमाईश दिनांक 4/10/2023 के अनुसार पत्थरगढी कराने बाबत कहा तो अप्रार्थी स0 1 ल० 26 टाल बाल कर दिया तथा प्रार्थी अप्रार्थी स0 27 के कार्यालय में गया तो अप्रार्थी स० 27 ने कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब पत्थरगढी करेगे। बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी पैदा होकर, प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किया जाना लाजिमी आया है। जो अन्दर अवधि पेश है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र पत्थरगढी के पेश किया जा रहा है जिस कारण राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया है, जो मुख्य पक्षकार है परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु अलग से धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र दावा के साथ अलग से पेश है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 4/10/2023 को पैमाईस होने व अब दिनांक 16/01/2025 को अप्रार्थी को पूर्व पैमाईस अनुसार पत्थरगढी कराने की कहने व अप्रार्थी द्वारा मना करने व ऐलानिया धमकी देने से पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिया जावे कि प्रार्थी की आराजी ख0न0 1180/163 रकबा 0.1062 हैक०, वाके ग्राम मंढा तह० मुण्डावर की पैमाईस दिनांक 4/10/2023 के अनुसार निशानात कायम कर आराजी ख0न0 1180/163 की डोल कायम कर पैमाईस के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर्ट किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, तामिल बाद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2071–74, नकल पटवारी रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त की भूमि है। विवादित आराजी की पैमाईस राजस्व टीम के द्वारा की जा चुकी है। विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 26 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जब्रन दबा रखी है। विवादित आराजी की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश करवाई जाने का श्रम करे।

पत्रावली, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जबाव अप्रार्थी, पत्रावली के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व प्राथी व अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। काश्तकार खातेदार को अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने जाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किया जाना उचित रहेगा। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं ख0न0 1180/163 रकबा 0.1062 है0 वाके ग्राम मंढा तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के लगाये हुए समस्त काश्तकार को विधिवत रूप से सूचित कर पुनः पैमाईश कर विवादित आराजी की पत्थरगढी की जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजा...

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner